

डिस्कलेमर

9 दिसंबर, 1946 से 24 जनवरी, 1950 तक के संविधान सभा के वाद-विवाद अनुक्रमणिका सहित पहली बार 1950 में 12 खण्डों में मुद्रित किए गए थे। लोक सभा सचिवालय द्वारा इन वाद-विवादों को 1966 और 1989 में पुनर्मुद्रित कराया गया। संविधान सभा के वाद-विवादों का विद्यमान पाठ 1999 का पुनर्मुद्रित संस्करण है।

संविधान सभा के वाद-विवाद प्रकाशनार्थ नहीं है और इन्हें जनहित में तात्कालिक आम जानकारी के प्रयोजनार्थ इंटरनेट पर उपलब्ध कराया जाता है।

संसदीय प्रतिलिप्यधिकार: समस्त संसदीय प्रतिलिप्यधिकार सुरक्षित हैं। प्रयोक्ता अपने व्यक्तिगत उपयोग अर्थात् निजी अध्ययन, अनुसंधान और अनुदेशात्मक या शैक्षिक प्रयोजनार्थ विषय-वस्तु का अपने प्रिंटर या फाइल पर डाउनलोड करके इसका उपयोग करने के लिए प्राधिकृत हैं।

प्रतिलिप्यधिकार और उपयोग: इस फाइल की विषयवस्तु से किसी भी सामग्री को उद्धृत करने के लिए लोक सभा के अध्यक्ष की अनुमति अपेक्षित है। संस्था और लोक सभा वेबसाइट को समुचित रूप से स्रोत के रूप में दर्शाया जाना अपेक्षित है। जिस सामग्री के लिए अनुमति प्रदान की गई है उसे अक्षरशः उसी रूप में उद्धृत किया जाना चाहिए और उसके संपादन आदि की अनुमति नहीं है।

प्रयोक्ताओं से अनुरोध है कि जिस पुस्तक में लोकसभा के अध्यक्ष की अनुमति से इस फाइल की विषय-वस्तु से किसी सामग्री को अक्षरशः उद्धृत किया गया है वे उस पुस्तक की दो प्रतियां संपादन शाखा, लोक सभा सचिवालय, कमरा संख्या; 510, संसदीय सौध को भेजें।

वास्तविक प्रतिलिप्यधिकार धारक (लोक सभा सचिवालय) की लिखित अनुमति के बिना इन वेब पेजों के किसी भी भाग को किसी भी संचार माध्यम में प्रकाशित न किया जाए अथवा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध किसी भी वेबसाइट या अन्य प्रकार के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिट्रिवल सिस्टम में प्रेषित न किया जाए अथवा संग्रहित न किया जाए और न ही इस प्रकार से प्रयोग किया जाए जिससे वे किसी तीसरे पक्ष की वेबसाइट अथवा इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस या रिट्रिवल सिस्टम का हिस्सा प्रतीत हों।

संविधान सभा के वाद-विवादों से अक्षरशः उद्धृत किए जाने की मिली अनुमति के आधार पर इस प्रकार के अक्षरशः उद्धरण के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी कानूनी कार्यवाही के खिलाफ किसी भी प्रकार का संरक्षण उपलब्ध नहीं होगा।

संविधान सभा के वाद-विवादों की मुद्रित प्रतियां बिक्री शाखा, संसदीय सौध, नई दिल्ली में उपलब्ध हैं।

(C) लोक सभा सचिवालय

संविधान सभा के वाद-विवाद हेतु सूचना प्रदान करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी

कु. सुमन रतन

निदेशक

23034508

suman.rattan11[AT]sansad[DOT]nic[DOT]in

श्री एस.बी. त्रिपाठी

अपर निदेशक

23035439

editorial.ls[AT]sansad[DOT]nic[DOT]in

श्री आर.के. मेयर

संयुक्त निदेशक

23034510, 23034512

editorial.ls[AT]sansad[DOT]nic[DOT]in

अधिक जानकारी/स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, के लिए संबंधित अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
